प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर
   प्र. ई. रि. स. – 37/2022 दिनांक – 08/02/2022
2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7, 7ए
   (ब) अधिनियम – .... धाराये – ....
   (स) अधिनियम – .... धाराये – ....
   (द) अन्य अधिनियम – धाराये – 120 बी आईपीसी
3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 146 समय – 6:00 pm
   ब. अपराध के घटने का दिन – सोमवार, दिनांक – 07.02.2022 समय – 05.20 पी.एम.
   स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 20.01.2022 समय – 06.15 पी.एम.
4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।
5. घटना स्थल –
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख दक्षिण 220 किलोमीटर लगभग
   (ब) पता :– होटल कार्प के पास भीनमाल जिला जालोर।
   बीट संख्या जरायमदेही संख्या
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो
   पुलिस थाना .... जिला ....
6. परिवादी का नाम
   1. (अ) नाम – राजुसिंह (ब) पिता/पति का नाम – श्री किशोरसिंह
   (स) जन्म तिथि/वर्ष – 49 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) व्यवसाय – ठेकेदारी (र) पता – 136, राजपूतों का वास, कुशलापुरा पोस्ट नरता तहसील भीनमाल जिला जालोर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–
   1. श्री सुनील माथुर पुत्र श्री अमृतलाल माथुर जाति माथुर उम्र 65 साल निवासी 68,वैष्णव नगर, बी.आर. बिडला स्कूल के पास, जोधपुर सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता स्वास्थ्य विभाग जालोर।
   2. श्री कुन्दन मल सुथार पुत्र श्री लच्छीराम जी जाति सुथार उम्र 48 साल निवासी ग्राम उम्मेदपुर तहसील आहोर जिला जालोर हाल सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जालोर।
   3. प्रकाश कुमार पुत्र श्री रामलाल जी जाति माली उम्र 37 साल निवासी नागरिक बैक के सामनें, शास्त्रीनगर कॉलोनी, पुलिस थाना कोतवाली जिला जालोर हाल संविदाकर्मी कम्प्युटर ऑपरेटर स्वास्थ्य विभाग जालोर।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नही
9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य
10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– **रिश्वत राशि 20,000/– रू.**
11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)............ कोई नहीं..........
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट..

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू जोधपुर

विषयः– मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करवाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं राजुसिंह पुत्र श्री किशोर सिंह उम्र 49 वर्ष निवासी 136 राजपूतो का वास कुशलापुरा पोस्ट नरता तहसील भीनमाल जिला जालोर का रहने वाला हूं। मैं व्यवसाय से ठेकेदार हूं। मेरी कम्पनी का नाम मैसर्स चौहान कन्स्ट्रेक्शन भीनमाल है, जो सरकारी टेन्डर से बिल्डिंग निर्माण का कार्य करता हूं। वर्ष 2015 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जिला जालोर के वर्क ऑर्डर ईई/एमएच/जालोर/35/2014–15 के तहत मैनें ग्राम पाथेड़ी जिला जालोर में आवासीय क्वार्टर पीएचसी भवन क्षेत्र में बनाये थे, जिसका अंतिम बिल पेश करके कार्य की एनओसी प्राप्त कर ली गई थी। उक्त कार्य का टेन्डर करीब 85 लाख रूपये था जिसमें से करीब 65 लाख का कार्य करवाया गया था। उसके बाद वर्ष 2017 में कार्य पूर्ण करवाया जाकर लागत राशि के बिल पास करवाये गये। उक्त टेन्डर के कार्य राशि का 10 प्रतिशत सिक्यूरिटी डिपोजिट/एसडी करीब 6.50 लाख रूपये विभाग में जमा थे। नियमानुसार कार्य के पूर्ण होने के तीन वर्ष बाद एसडी राशि स्वतः ही कस्ट्रेक्शन कम्पनी के एकाउंट में जमा होनी होती हैं लेकिन पिछले कई महिनों से जालोर पीएचसी विभाग जालोर के सहायक अभियंता श्री सुनिल माथुर व एएओ ने एसडी रिलीज करने के बदले 5 प्रतिशत कमीशन की मांग की जो आज तक नहीं देने के कारण मेरी एसडी राशि रिलीज नहीं की गई। एक दो रोज पहले मैं जालोर स्थित पीएचसी विभाग गया तो सहायक अभियंता श्री सुनिल माथुर जो वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके है, कार्यालय के कमरे में काम करते हुए मिले तब उन्होनें कहा कि मैं आपकी एसडी राशि रिलीज कर दूगां बेक डेट में। आप लास्ट तीन प्रतिशत कमीशन लेकर आ जाओ। तब मैनें कहा कि आप तो सेवानिवृत्त हो चुके हो कैसे करोगें तो श्री सुनिल माथुर ने कहा कि वर्तमान में मेरे समय के पडिंग कार्य पर अधिकारियों के कहने से बेक डेट में काम निकाल रहा हूं। कार्यालय में उनके पास ही कार्यरत एएओ साहब ने भी अपने खर्चे पानी के 1 प्रतिशत कमीशन की मांग की है। श्रीमान मैं मेरे हक की एसडी राशि वैध तरीके से प्राप्त करना चाहता हूं लेकिन श्री सुनिल माथुर सेवानिवृत्त सहायक अभियंता जो आज भी जालोर स्थित कार्यालय में काम कर रहा है मुझसे मेरी एसडी राशि रिलीज करने के बदले में कमीशन की मांग कर रहा है व साथ में कार्यरत एएओ सुथार साहब भी अपना अलग से कमीशन मांग रहे है, जो मैं देना नहीं चाहता हूं बल्कि इन दानों अधिकारीयों को रशिवत लेते हुए रंगे हाथ ट्रेप करवाना चाहता हूं। कानूनी कार्यवाही करवावे। मेरी उक्त दोनों अधिकारियों से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है एवं ना ही कोई व्यक्तिगत लेन–देन बकाया है। रिपोर्ट के साथ मेरे आधार कार्ड की फोटो प्रति एवं कार्य के आवश्यक दस्तावेज पेश कर रहा हूं।

दिनांकः– 20.01.2022

एसडी
राजुसिंह पुत्र श्री किशोर सिंह
जाति राजपूत निवासी 136 राजपूतो का वास कुशलापुरा
पोस्ट नरता तहसील भीनमाल जिला जालोर मोबाईल
नम्बर 7742195056

कार्यवाही पुलिस, दिनांक 20.01.2022 समय 6.15 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री राजुसिंह पुत्र श्री किशोर सिंह उक्त टाईपशुदा रिपोर्ट के साथ कार्यालय हाजा उपस्थित आया। उक्त मजमून से मामला भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 का पाया जानें से अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

एसडी
(दुर्गसिंह राजपुरोहित)
अति.पुलिस अधीक्षक
20/01/2022

एसडी
(प्रहलादसिंह चौहान)
पटवारी
27/01/2022

एसडी
(जुबेर खॉ)
कनिष्ठ सहायक
27/01/2022